न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–32/2020 RCMS-No 2020/00048

उनवान –सरकार बनाम श्रीनिवास त्यागी पुत्र रामस्नेही त्यागी नि0 जी–78, रीको इण्ड0ऐरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –24.09.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल कार्या0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थी श्री श्रीनियास त्यागी पुत्र रामस्नेही त्यागी नि0 जी–78,रीको इण्ड0ऐरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 7.10.2019 को करौली बस स्टेण्ड सरमथुरा धौलपुर में गाडी संख्या मेक्स पिकअप यूपी–83 एटी 1469 को रोक कर चैक किया तो अप्रार्थी द्वारा मेक्स पिकअप में रखी लगभग 690 किलो ग्राम बर्फी आम जनता को विकय करने हेतु ले जाई जा रही थी इस बर्फी में मिलावट का शक होने पर उक्त बर्फी में से दो किलो ग्राम बर्फी वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त बर्फी नमूना डी–1685 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उक्त बर्फी का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति का होना पाया गया। उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी धौलपुर द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड बर्फी का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड बर्फी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री श्रीनिवास त्यागी पुत्र रामस्नेही त्यागी नि0 जी–78,रीको इण्ड0ऐरिया ओडेला रोड धौलपुर (मै0 कृष्णा फूड प्रोडक्ट धौलपुर) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 75,000/–रुपये (पिचत्तर हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)